

20  $\frac{8}{25}$

प्राप्त हो

पत्रावली प्राप्त हुई बकुलाम पत्रकाराणं उपा/अप्रार्थिगण के संख्या 2 लगायत 8 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। तथा अप्रार्थि संख्या 2, 3, 4, 6 की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर सहजति की तथा अप्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी उन्होंने शपथ पत्र सहजति दी गई। हमने प्रार्थीगण पत्र पर प्रार्थी वकील को सुनना गया। उन्होंने अवगत कराया कि ख. नं. 52 वीके ग्राम बल्लभगढ़ तहसील भुसावर में प्रार्थी के नाम  $\frac{1}{10}$  हिस्से का इन्हाज सहजन गलही से छुट गया। जबकि अप्रार्थिगण ने जरिये जवाब प्रार्थीगण पत्र एवं शपथ पत्र द्वारा प्रार्थी को  $\frac{1}{10}$  हिस्से का अधिकार बाबत सहजति दी गई। अतः अप्रार्थिगण संख्या 2 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के पिता गुलाबचंद के नाम हो रही  $\frac{1}{2}$  हिस्से की गलत खोल्हारी को कलमजग किया जाकर सही इन्हाज प्रार्थी  $\frac{1}{10}$  हिस्से का व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व हिस्सा कराबर  $\frac{3}{10}$  हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के पिता/पति गुलाबचन्द  $\frac{1}{10}$  हिस्से के अधिकार शुद्ध किया जावे।

के 027  
~~...~~  
बाग  
 राजेन्द्र ६

हमने बहस कर उभयपक्ष को सुना गया। बहस पर भनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का गलीगाली अध्ययन किया गया। इनके आधार पर हम प्रार्थी की खोल्हारी शुद्ध किया जाना उचित पाते हैं।

अतः प्रार्थीगण पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ. ख. नं. 52 रकबा 0.79 हेक्टे. वीके ग्राम बल्लभगढ़ तह. भुसावर में अप्रार्थिगण संख्या 2 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के पिता गुलाबचन्द के नाम हो रही

लगातार---

1/2 हिस्सा की गलत खतिदारी को कसमंजन किया जाकर सही इन्फाज पार्टी 1/10 हिस्से का व अपार्थी संख्या 2 लगायत 4 वा हिस्सा बराबर 3/10 हिस्सा व अपार्थी संख्या 5 लगायत 8 के प्रति पिता गुलाब कन्द 1/10 हिस्से के खतिदार दुरुस्त कर सही इन्फाज बाजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

पत्रावली फंसल शुमार होकर नंबर से कगछे, थाद तककील जाया दाखिल फपतर हो।

(राधेश्याम मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी

भुसावर (भरतपुर) राज